न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2014 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री मोहनलाल तेली पिता श्री गोवर्धनलाल जी तेली निवासी हवालाखुर्द के पास रानी रोड़ के आगे तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री गोवर्धन लाल पिता श्रीर नवला जी तेली हवालाखुर्द के पास रानी रोड़ के आगे तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुश्री पुर्णिमा पिता श्री मोहनलाल जी तेली निवासी उदयपुर नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती गंगाबाई पत्नी श्री मोहनलाल जी तेली निवासी 26 ब्रह्मपोल उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 22–04–2013 प्रकरण सं0 89/2013 राजस्व वाद

———

उपस्थित :–1– श्री सुशील डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री गोपालदास सनाढ्य अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

——————/——————

निर्णय **दिनांक 08–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादिया द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार होकर मौरूस नवला के 5 पुत्र होकर उनमें से गोवर्धनलाल एक पुत्र होकर उसके 3 वारिसान मोहनलाल, डालीबाई व भीमशंकर है। वादिया मोहनलाल की पुत्री होकर वादपत्र की कलम संख्या–2 वर्णित मोरूषी भूमियों में वादिया का आधिकार है। वादिया के पिता मोहनलाल पुत्र गोवर्धन लाल नशे के आदि है तथा वादिया की माता व उसके पिता के मध्य पारिवारिक

न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रतिवादी मोहनलाल भूमियों का विक्रय कर सकता है। अतएव वादिया को खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाब दिया गया। प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. *आया वादग्रस्त कृषि भूमि मौरूसी होकर वादिया स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अकिारी है? .....वादी*
2. *आया वादिया वादग्रस्त कृषि भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनये रखे जाने की अधिकारीणी है? ..... वादी*
3. *आया वादिया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नहीं है। .....प्रतिवादी*
4. *अनुतोष*

अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा पेश की गई साक्ष्य सबूत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में गोवर्धनलाल के नाम दर्ज जमीनों में गोवर्धनलाल, मोहनलाल व वादिया पूर्णिमा को बराबर हिस्से का खातेदारी घोषणा दिनांक 22–04–2014 को आदेश कर डिक्री कर दिया जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–7–2014 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत किया। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री गोपालदास सनाढ्य ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में विवादित भूमियां मौरूस नवला के समय की होने की

कोई साक्ष्य नहीं थी तथा वादी रेस्पोन्डेन्ट स्वयं द्वारा गोवर्धनलाल के वादिया के पिता मोहनलाल के अलावा अन्य पुत्र/पुत्री डालीबाई व भीमशंकर का होना स्वयं वादपत्र की कलम संख्या–1 में बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गोवर्धनलाल के मोहनलाल के अलावा अन्य वारिसान के होते हुए मोहनलाल को गोरधनलाल का अकेला वारिस मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गोवर्धनलाल के नाम दर्ज भूमियों में गोवर्धनलाल, मोहनलाल व वादिया पूर्णिमा को प्रत्येक 1/3 मान लिया है, जबकि गोरधनलाल के अन्य वारिसान भी उपलब्ध है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा–6 के अनुक्रम में भूमियों को सहदायिकी संपत्ति विनिश्चित किये जाने के लिए भूमियों का नवला के समय की भूमियां होने बाबत् कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया स्वयं द्वारा व्यक्त सजरें में गोवर्धनलाल के मोहनलाल के अलावा अन्य वारिसान उपलब्ध होते हुए, उन्हें नजर–अन्दाज कर त्रुटिपूर्ण घोषणा वादिया के पक्ष में की है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 6–12–2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर, बाद सुनवाई पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 9–5–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर